न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 10/2020
सीआईएस नंबर : 10/2020
CNR : RJBA010001912020

गणेश पुत्र रुगाराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी लुम्बासर (रतसर), हाल– हाउसिंग बोर्ड, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ।

––प्रार्थी

बनाम

01. डूंगराराम पुत्र ठाकराराम, निवासी मेहरामपुर, हाथीतला, तहसील व जिला बाड़मेर ।
(चालक व रजिस्टर्ड मालिक वाहन नंबर आर जे 04 टी ए 5644)

02. टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय द्वितीय फ़्लोर, एल.के. टॉवर, चौपासनी रोड़, जोधपुर–342003
(बीमा कंपनी वाहन नंबर आर जे 04 टी ए 5644)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988
संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थित:–
01. श्री चैनाराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से ।
02. श्री कैलाशचंद माहेश्वरी, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ।
03. श्री किरण मंगल, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

– <u>निर्णय</u> –

दिनांक: 13.03.2026

1. प्रार्थी गणेश द्वारा यह क्लेम याचिका अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 1994 की धारा 166 के तहत दुर्घटना में आयी चोटों के संबंध में मुआवजे हेतु दिनांक 25.11.2019 को पेश की गयी ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.04.2019 को आहत गणेश, टीकमाराम, हरिश व डूंगराराम टैम्पो टैक्सी टाटा मैजिक नंबर आर जे 04 टी ए 5644 में फैंसी का सामान सप्लाई कर वापस धनाउ से चौहटन की

तरफ जाते हुए धनाउ से करीबन 03 किमी. आगे सरहद ओजिया (श्रीरामवाला) पहुँचे तभी सड़क पर आगे अचानक गाय आ जाने से टैम्पो तेज गति में होने से, चालक डूंगराराम ने गाय को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाए जिससे टैम्पो अनियंत्रित होकर पलटी खा गया जिससे टैम्पो में बैठे टीकमाराम के ज्यादा चोटें लगने से मृत्यु हो गई तथा हरिश व गणेश घायल हो गए । दुर्घटना की रिपोर्ट बांकाराम ने पुलिस थाना चौहटन में पेश की जिस पर प्रकरण सीआर नं. 87/2019 अंतर्गत धारा 279, 337 व 304(A) भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया । अनुसंधान उपरांत अप्रार्थी संख्या 01 डूंगराराम द्वारा वाहन टैम्पो टैक्सी नंबर आर जे 04 टी ए 5644 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया । प्रार्थी ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में माफिक याचिका मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया ।

3. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि उसका तथाकथित दुर्घटना से कोई सरोकार नहीं है । दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन संख्या आर जे 04 टी ए 5644 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर कारित नहीं की । यदि माननीय अधिकरण दुर्घटना उक्त वाहन द्वारा कारित किए जाने के निष्कर्ष पर पहुँचे तो वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से क्लेम अदायगी की संपूर्ण जिम्मेवारी अप्रार्थी संख्या 02 की है एवं अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन पश्चात् प्रस्तुत की थी जिससे स्पष्ट है कि दुर्घटना आरोपित वाहन से घटित नहीं हुई थी एवं बाद में अप्रार्थी संख्या 01 से प्रार्थी पक्ष द्वारा दुरभि संधि कर उसके वाहन को दुर्घटना में लिप्त किया है जिससे बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी का दायित्व नहीं बनता है । विकल्प में यह भी अथिकथन किया है कि वक्त दुर्घटना वाहन बिना परमीट व फिटनेस के चलाया जा रहा था तथा वाहन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाए जाने के कारण बीमा कंपनी प्रार्थी को क्लेम अदायगी हेतु दायित्वाधीन नहीं है ।

अतः बीमा कंपनी के विरुद्ध, क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

01. आया दिनांक 23.04.2019 को वक्त शाम के करीब 05.00 बजे सरहद मौजा धनाउ से चौहटन की ओर जाते हुए धनाउ से करीबन 03 किमी. आगे सरहद ओजिया (श्रीरामवाला) में अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन टैम्पो टैक्सी टाटा मैजिक नंबर आर जे 04 टी ए 5644 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर कारित की गई दुर्घटना में आहत गणेश को साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई ?

– प्रार्थी

02. आया प्रार्थी अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 8,75,000/– रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है ?

– प्रार्थी

03. आया अप्रार्थी संख्या 02 के जवाब के "विशेष आपत्तियों" नामक शीर्षक में उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है ?

– अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी

04. अनुतोष ?

6. प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में गवाह ए.डब्ल्यू. 01 गणेश के कथन करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण व अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 24 प्रदर्शित करवाये ।

7. अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू. 01 तनय शर्मा के कथन करवाये एवं दस्तावेज बीमा पॉलिसी प्रदर्श एनए 01 प्रदर्शित करवायी ।

8. बहस सुनी गयी । प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना, वाहन टैम्पो टैक्सी संख्या आर जे 04 टी ए 5644 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक तरीके से चलाकर पलटी खिला देने से कारित

हुई है एवं दुर्घटना में आहत के चोटें आना साबित है एवं पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 की लापरवाही साबित मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । अतः माफिक क्लेम याचिका मुआवजा दिलाने का निवेदन किया ।

9. प्रार्थी की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने उसकी गलती व उपेक्षा के कारण दुर्घटना नहीं होना तथा वक्त दुर्घटना वाहन अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के यहाँ बीमित होना बताते हुए प्रतिकर अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी का होने से उसके विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया ।

10. प्रार्थी की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना की रिपोर्ट बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त करने की नीयत से बीमित टैम्पो टैक्सी नंबर आर जे 04 टी ए 5644 को अंतर्लिप्त करते हुए एक दिन देरीना दर्ज करवाई गई है जिससे बीमा कंपनी प्रार्थी को प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्वाधीन नहीं है । विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि माननीय अधिकरण किसी कदर आरोपित वाहन से दुर्घटना होना साबित माने तो वक्त दुर्घटना वाहन बिना परमीट के संचालित किया जा रहा था जिससे बीमा पॉलिसी की संविदा शर्तों का उल्लंघन होने से क्लेम अदायगी का दायित्व वाहन के मालिक का बनता है । अतः प्रस्तुत क्लेम याचिका अप्रार्थी बीमा कंपनी के विरुद्ध अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

11. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

12. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर था । प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 01 गणेश ने मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र में क्लेम याचिका में वर्णित अनुसार दुर्घटना होना एवं दुर्घटना, वाहन टैम्पो टैक्सी टाटा मैजिक नंबर आर जे 04 टी ए 5644 के चालक व मालिक अप्रार्थी संख्या 01 डूंगराराम द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने से कारित होना कथन किया है । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 20 प्रदर्शित करवाए हैं । प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके दुर्घटना में

सामान्य चोटें आई थी, कोई गंभीर चोट या अस्थिभंग नहीं हुआ ।

13. बीमा कंपनी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट देरीना दर्ज करवाने का उज्र लिया गया है । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 03 में घटना दिनांक 23.04.2019 को शाम के 05.00 बजे की होना बताया है तथा रिपोर्ट दिनांक 23.04.2019 को वक्त 10.30 पीएम पर बमुकाम सीएचसी धनाऊ पर प्रस्तुत की है, जो देरीना दर्ज करवाया जाना नहीं माना जा सकता है ।

14. वाहन की फर्द जब्ती प्रदर्श 10 के अवलोकन से वाहन टैम्पो टाटा मैजिक पंजीयन नंबर आर जे 04 टी ए 5644 को दिनांक 24.04.2019 को जब्त किया गया है जिसमें वाहन आगे का हैड शीशा टूटा हुआ, फाटकों के कांच टूटे हुए, खाली साइड की बॉडी पर खरोंच व पूरे टैम्पो की बॉडी मुड़ी हुई होना बताया है एवं वाहन की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श 11 अनुसार वाहन में भारी टूटफूट होकर वाहन चलाने योग्य नहीं होना बताया है ।

15. प्रदर्श 17, नोटिस धारा 133 व 134 एमवी एक्ट के जवाब में वाहन के पंजीकृत स्वामी डूंगराराम ने दिनांक 23.04.2019 को वक्त दुर्घटना उसके वाहन टैम्पो नंबर आर जे 04 टी ए 5644 चालक स्वयं होना बताया है । आहत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 15 के अवलोकन से आहत गणेश के दुर्घटना में एक साधारण चोट कारित होना साबित है । पुलिस ने भी अनुसंधान उपरांत वाहन टैम्पो नंबर आर जे 04 टी ए 5644 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 डूंगराराम की दुर्घटना में उपेक्षा एवं लापरवाही मानते हुए धारा 279, 337 व 304(A) भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया है । अतः आरोपित वाहन की संलिप्तता के तथ्यों पर संदेह नहीं है ।

16. प्रार्थी, प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 23.04.20109 को वक्त शाम के करीब 05.00 बजे सरहद मौजा धनाउ से चौहटन की ओर जाते हुए धनाउ से करीब 03 किलोमीटर आगे सरहद ओजिया (श्रीरामवाला) में अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन टैम्पो टैक्सी टाटा मैजिक नंबर आर जे 04 टी ए 5644 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अचानक ब्रेक लगाकर टैम्पो को पलटी खिलाकर कारित की गई दुर्घटना में आहत गणेश के साधारण उपहति कारित हुई । अतः विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

17. इस संबंध में ए.डब्ल्यू. 01 गणेश ने साक्ष्य दी है कि वक्त दुर्घटना वह कक्षा 9 वीं का छात्र था तथा चोट लगने से उसका एक माह तक इलाज चला जिससे उसके माता–पिता उसके साथ रहे एवं आय से वंचित रहे । उसके इलाज में भी खर्चा हुआ एवं उसे मानसिक व शारीक वेदना का सामना करना पड़ा तथा वाहन किराये पर लेने पड़ा एवं उसको दुर्घटना में कारित चोटों के कारण कुछ समय तक पौष्टिक खुराक का भी सेवन करना पड़ा । प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके दुर्घटना में सामान्य चोटें आई थी, उसके कोई गंभीर चोट या अस्थिभंग नहीं हुआ ।

18. प्रार्थी ने उसके शरीर पर पाई गई चोटों को साबित करवाये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 15 प्रदर्शित करवाया है जिसके अवलोकन से प्रार्थी के एक चोट साधारण प्रकृति की कारित होना प्रकट होता है। प्रार्थी ने स्थायी निर्योग्यता बाबत् कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रार्थी को कारित एक साधारण चोट के लिए 3,500/– रुपये दिलाया जाना उचित है ।

19. प्रार्थी द्वारा राजकीय चिकित्सालय की पर्ची प्रदर्श 21 प्रस्तुत की है लेकिन उसके इलाज एवं किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे प्रार्थी चिकित्सा व्यय, परिवहन व्यय एवं आय की हानि पेटे कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

20. प्रार्थी वक्त दुर्घटना कक्षा 09 में अध्ययनरत् था जिसके द्वारा कोई कार्य करके अर्थअर्जन किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है और न ही उसके आय या व्यवसाय के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिससे उसे आय की हानि मद में कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

21. प्रार्थी को कारित चोट के मध्यनजर उसे हुई शारीरिक व मानसिक कष्ट व पीड़ा के मद में 2,000/– रुपये एवं प्रार्थी को कारित चोट की स्थिति को देखते हुए पौष्टिक आहार भी लेना पड़ा होगा, जिसके लिए 1,000/– रुपये दिलवाया जाना उचित है ।

22. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी निम्न मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैः–

1.	कारित 01 साधारण चोट के पेटे	3,500/–
2.	शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मद में	2,000/–
3.	पौष्टिक खुराक मद में	1,000/–
	कुल मुआवजा राशि	6,500/–

23. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 03

24. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी पर था । बीमा कंपनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन.ए.डब्ल्यू. 01 तनय शर्मा ने यह कथन किया है कि वाहन संख्या आर जे 04 टी ए 5644 दिनांक 25.07.2018 से 24.07.2019 तक ऑटो सिक्योर कॉमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी की शर्तों व नियमों के तहत तथा एमवी एक्ट के प्रावधानों के तहत बीमित था । बीमा पॉलिसी प्रदर्श एनए 01 है । उक्त वाहन एक परिवहन यान होने से उसका उपयोग करते समय वैध व प्रभावी रूट परमीट होना आवश्यक है । लेकित बीमित द्वारा, उक्त वाहन का, वक्त दुर्घटना का, वैध एवं प्रभावी रूट परमीट पेश नहीं किया है जिस पर उनकी कंपनी की ओर से उक्त वाहन का वैध व प्रभावी रूट परमीट पेश कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसके बावजूद भी उक्त वाहन के मालिक मय बीमित द्वारा पत्रावली में उक्त वाहन का कोई वैध व प्रभावी रूट परमीट वक्त दुर्घटना का पेश नहीं किया गया है । अतः वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों व नियमों का उल्लंघन करके तथा एमवी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके, वैध व प्रभावी रूट परमीट के बिना उपयोग में लिया जा रहा था इसलिए उनकी बीमा कंपनी का क्लेम अदा करने का कोई दायित्व नहीं बनता है । प्रार्थी की ओर से की गई जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि उक्त वाहन बीमा शर्तों का उल्लंघन करके नहीं चलाया जा रहा हो । अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि वाहन नंबर आर जे 04 टी ए 5644 के परमीट के संदर्भ में आर.टी.ओ. में जाकर कोई जांच वगैरह् नहीं की, अजखुद कहा कि अधिकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर परमीट की मांग की गई थी परन्तु परमीट की कोई प्रति पेश

नहीं की गई थी । इस कथन को गलत बताया है कि परमीट के संदर्भ में शर्ते पॉलिसी में दर्ज न हो । यह स्वीकार किया है कि पॉलिसी प्रदर्श एनए 01 तृतीय पक्षकार को हुई क्षति को कवर करती है । यह स्वीकार किया है कि आहत उनकी बीमा कंपनी के लिए तृतीय पक्षकार था ।

25. अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपित वाहन पैसेंजर वाहन है जिसके संबंध में परमीट की भी आवश्यकता है तथा वाहन स्वामी से वाहन का परमीट पेश करवाए जाने हेतु उनके द्वारा माननीय अधिकरण में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन न तो वाहन स्वामी और न ही प्रार्थी द्वारा अधिकरण में वाहन का परमीट प्रस्तुत किया गया तथा वाहन के बाबत ऐसा कोई परमीट प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह स्पष्ट है कि वाहन बिना परमीट के संचालित किया जा रहा था । बिना वैध एवं प्रभावी परमीट के वाहन का संचालन करना बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है । अतः अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के विरुद्ध क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

26. आरोपित वाहन टैम्पो टैक्सी टाटा मैजिक नंबर आर जे 04 टी ए 5644 एक पैसेंजर (टैक्सी) वाहन है जिसके लिये परमीट आवश्यक है लेकिन परमीट प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया है ।

27. बरवक्त दुर्घटना उक्त वाहन के संबंध में वैध एवं प्रभावी परमीट जारी था या नहीं, इस तथ्य को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 01 वाहन टैम्पो टैक्सी के पंजीकृत स्वामी पर था, क्योंकि वह वाहन का वैध परमीट धारक था एवं असल परमीट उसके पास ही था । अप्रार्थी संख्या 01 वाहन स्वामी द्वारा नियमित तौर पर उपस्थित होकर पैरवी की जा रही है । तथ्य जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान में हो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है जिसके ज्ञान में वह विशिष्ट तथ्य हो ।

28. बीमा कंपनी अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधिकरण में वाहन मालिक से दुर्घटना अवधि बाबत् परमीट पेश करवाने बाबत् पेश किया, मगर वाहन मालिक ने वाहन का असल परमीट पेश नहीं किया है । इस संबंध में वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र के जवाब में यह जाहिर किया है कि वक्त दुर्घटना वाहन यात्री वाहन के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा रहा था, इसलिए बीमा

पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इस तथ्य को सक्षम साक्ष्य से साबित नहीं किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन का वैध एवं प्रभावी परमीट धारक था एवं असल परमीट उसके पास ही था तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा असल परमीट या परमीट की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने के अभाव में यह प्रतिकूल अवधारणा वाहन मालिक के विरुद्ध कायम की जाती है कि उक्त वाहन के संबंध में बरवक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी परमीट जारी नहीं था जिससे वाहन बीमा पॉलिसी प्रदर्श एनए 01 के उल्लंघन में चलाया जाना साबित है ।

29. न्यायिक दृष्टांत **Supreme Court of India Amrit Paul Singh vs Tata Aig General Insurance Co. Civil Appeal No 2253 of 2018** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बिना परमीट के सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है ।

30. अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2012(3) DNJ (Raj.) 1434 National Insurance Co. Ltd. Vs Smt. Pushpa Devi & Ors.** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वाहन के स्वामी ने रिकॉर्ड पर परमीट पेश नहीं किया और भार निर्वहन करने में असफल रहा । बिना परमीट के वाहन चलाया जो पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी प्रतिकर भुगतान हेतु दायी नहीं है । बीमा कंपनी ने जो प्रतिकर भुगतान किया और दावाकर्ताओं को वितरित किया, वह प्रतिकर राशि वाहन के स्वामी से बीमा कंपनी वसूल करने को स्वतंत्र है ।

31. उपरोक्त विवेचन से यह साबित है कि वक्त दुर्घटना टैम्पो टैक्सी वैध परमीट के बिना संचालित की जा रही थी जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी को प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्वाधीन होना नहीं माना जा सकता है, परंतु वक्त दुर्घटना वाहन टैम्पो टैक्सी नंबर आर जे 04 टी ए 5644 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी से बीमित थी तथा मृतक बीमा कंपनी के लिए तृतीय पक्षकार होने से मुआवजा अदायगी की प्रथम जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होने से बीमा कंपनी प्रार्थी को अवार्ड राशि मय ब्याज के भुगतान करे एवं बाद में बीमा कंपनी पृथक से वाद लाए बिना प्रार्थी को अदा की गई राशि मय ब्याज के वाहन चालक व स्वामी से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

32. न्यायिक दृष्टांत **2022(1) RLW 308 (Raj.) United India**

Insurance Company Ltd. Vs Smt. Soniya Moyal & Ors. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **"भुगतान करो और वसूली करो"** का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने विधिमान्य परमीट/रूट परमीट नहीं होने से बीमित द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर बीमा कंपनी को प्रश्नगत यान का विधिमान्य परमीट नहीं होने के कारण प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से दोषमुक्त किए जाने की हकदार मानते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को देय प्रतिकर की राशि जमा कराएगी और फिर वह राशि यान चालक एवं स्वामी से वसूल करने की हकदार होगी तथा बीमाकर्ता बिना अलग से वाद दायर किए सीधे ही संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही आरंभ कर सकता है ।

33. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है ।

अनुतोष

34. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थी के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णीत किये गये हैं जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुआवजा याचिका स्वीकार योग्य पाई जाती है । क्लेम राशि मय ब्याज पहले बीमा कंपनी अदा करेगी जो बीमा कंपनी पृथक से वाद लाए बिना प्रार्थी को अदा की गई राशि मय ब्याज के वाहन चालक व स्वामी से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

– आदेश –

35. अतः प्रार्थी गणेश की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994 स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में राशि **6,500/–** (अक्षरे छहः हजार पाँच सौ रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

36. प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 से, कुल राशि **6,500/–** (अक्षरे छहः हजार पाँच सौ रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 25.11.2019 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है ।

37. पंचाट की राशि मय ब्याज पहले बीमा कंपनी प्रार्थी को अदा करे । प्रार्थी को अदा की गई राशि मय ब्याज के बीमा कंपनी पृथक से वाद लाए बिना वाहन

चालक व स्वामी से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

38. यदि पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन कोई राशि अदा की गई है तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करे । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थी अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थी को जरिये बचत खाता अदा हो । प्रार्थी को उक्त संपूर्ण प्रतिकर राशि बचत खाता के जरिए नकद अदा की जाये ।

39. प्रकरण का खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे । उपरोक्तानुसार पर्चा एवार्ड मुर्तिब हो ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

40. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.03.13 15:38:33 +0530